

प्रेस विज्ञप्ति
थाना-रौनापार

अवैध असलहा, कारतूस एव असलहा बनाने वाले उपकरण के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी तथा अवैध असलहा/अवैध शराब तस्करी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सिद्धार्थ एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के के कुशल निर्देशन में दिनांक 15.09.2020 को थानाध्यक्ष रौनापार श्री नवल किशोर सिंह मय हमराहियान के चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/संदिग्ध वाहन करते हुए हैदराबाद बाजार में मौजूद थे उसी दौरान मुखबिर ने सूचना दिया कि इस समय रोशनगंज गांव के पास गन्ना के खेत में कुछ लोग कट्टा बना रहे हैं। इस सूचना पर थानाध्यक्ष रौनापार द्वारा उ0नि0 श्री चन्द्रशेखर यादव को बुलाकर सूचना से अवगत कराते हुए मय पुलिस बल के मौके पर पहुंचकर देखा गया तो तीन व्यक्ति रोशनी में दिखाई दिये। रोशनी के पास पहुंचकर रोका-टोका गया तो वहा मौजूद तीन व्यक्ति भागने लगे। पुलिस बल द्वारा दौडाकर एक व्यक्ति को समय 6.55 बजे गिरफ्तार किया गया तथा दो व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम पता पुछने पर उसने अपना नाम राजेश राम पुत्र सिधई राम निवासी ग्राम रोशनगंज थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ बताया। मौके पर जामा तलाशी से अभियुक्त के पास से एक अदद कट्टा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। फरार अभियुक्तों का नाम पता पुछने पर अभियुक्त ने बताया कि वे दोनो मेरे दोस्त हैं जिनका नाम क्रमशः 1. जुगनू उर्फ प्रमोद पुत्र रामजीत निवासी ग्राम रोशनगंज थाना रौनापार जनपद आजमगढ़। 2. रामनाथ यादव पुत्र श्याम देव यादव निवासी हैदराबाद आजमगढ़ है। मौके पर मौजूद सामानो को देखा गया तो कट्टा बनाने का उपकरण के साथ ही वहा रखी बोरी से एक अदद कट्टा व 2 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-186/2020 धारा 3/5/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पुछताछ का विवरण – गिरफ्तार अभियुक्त से पुछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्तगण आपस में मित्र हैं तथा वे तीनों लोग मिलकर कट्टा बनाते हैं तथा बने हुए कट्टे को आस-पास के इलाके में बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

राजेश राम पुत्र सिधई राम निवासी ग्राम रोशनगंज थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0-186/2020 धारा 3/5/25 आयुध अधिनियम थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0-55/18 धारा 3/5/25 आयुध अधिनियम थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0-186/2020 धारा 3/5/25 आयुध अधिनियम थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

फरार अभियुक्तगण

1. जुगनू उर्फ प्रमोद पुत्र रामजीत निवासी ग्राम रोशनगंज थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।
2. रामनाथ यादव पुत्र श्याम देव यादव निवासी हैदराबाद आजमगढ़।

बरामदगी

1. एक अदद कट्टा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर। (अभियुक्त के पास से)
2. एक अदद कट्टा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।

कट्टा बनाने के उपकरण

01 अदद भट्टी, 01 अदद ठेहा, 5 अदद कट्टे का नाल, 02 अदद हथौड़ी, 02 अदद पिलास, 02 अदद आरी, एक अदद फ्रेम, 03 अदद रेती, 01 अदद सड़सी, 01 अदद छेनी, 03 अदद स्प्रिंग, 01 अदद फुकनी, 06 अदद साइकिल की तील्ली मुड़ा हुआ, 05 अदद लोहा का पत्तर, 4 पतला लोहा का टुकड़ा, 04 अदद सूमी, 05 अदद लकड़ी का पतला पट्टी, 06 अदद कील, 6 मोमबत्ती व सफेद पैकेट में सुहागा।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. थानाध्यक्ष नवल किशोर सिंह थाना रौनापार मय हमराह जनपद आजमगढ़।
2. उ0नि0चन्द्रशेखर यादव थाना रौनापार मय हमराह जनपद आजमगढ़।